संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ
तथा
राज्य सभा अध्येतावृत्तियां (फैलोशिप्स)

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फा॰ सं॰ आर॰एस॰ 3/2/2009– आर॰ एण्ड एल॰

© राज्य सभा सचिवालय
http://parliamentofindia.nic.in
http://rajyasabha.nic.in
E-mail: rsrlib@sansad.nic.in

महासचिव, राज्य सभा द्वारा प्रकाशित एवं महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित।

विषय-वस्तु

पृष्ठ

प्राक्कथन ..... (iii)

संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन के नाम से पीठ स्थापित करने तथा राज्य सभा अध्येतावृत्तियां आरंभ करने की योजना

(क) उद्देशिका 1

(ख) भाग क: खोज और सलाहकार समिति

(i) समिति का गठन 1

(ii) समिति के कार्य 2

(iii) समिति तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 2

(iv) समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ग्राह्यता 2

(ग) भाग ख: संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ

(i) पात्रता 2

(ii) अवधि 3

(iii) उत्तरदायित्व 3

(iv) पीठ की अवस्थिति 3

(v) चयन की विधि 3-4

(vi) अनुसंधान अनुदान 4

(घ) भाग ग: संसदीय अध्ययन के संबंध में राज्य सभा अध्येतावृत्तियां

(i) पात्रता 4-5

पृष्ठ

(ii) अवधि 5

(iii) उत्तरदायित्व 5

(iv) अध्येतावृत्ति की अवस्थिति 5

(v) चयन की विधि 5

(vi) अध्येतावृत्ति अनुदान 5–6

(ङ) भाग घ: पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए सामान्य शर्तें

(1) पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश 6–7

(2) पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र 7

(3) पुस्तकालय सुविधा 8

(4) प्रकाशन सहायता 8

(5) सभापति का निर्णय 8

संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ/ राज्य सभा अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र (*उपाबंध-I*)

पीठ के लिए वचन-पत्र (*उपाबंध-II क*) 9–10

अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र (*उपाबंध-II ख*) 11–12

पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए निबंधन और शर्तें (*परिशिष्ट*) 13–14

प्राक्कथन

राज्य सभा सचिवालय ने द्वितीय सदन पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में संसदीय लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विषयनिष्ठ एवं गहन अनुसंधान करने के लिए संसदीय अध्ययनों के संबंध में एक डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ और दो राज्य सभा अध्येतावृत्तियां आरंभ करने का निर्णय लिया है।

इस पुस्तिका में इस योजना का ब्यौरा दिया गया है जिसमें पीठ और अध्येतावृत्तियों के लिए आवेदन प्रपत्र, वचन-पत्र तथा निबंधन और शर्तें शामिल हैं।

नई दिल्ली;
मई, 2009

डॉ॰ विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव,
राज्य सभा।

संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन के नाम से पीठ स्थापित करने तथा राज्य सभा अध्येतावृत्तियां आरंभ करने की योजना

उद्देशिका

1. सामान्य रूप से संसदीय लोकतंत्र और विशेष रूप से भारतीय संसद तथा राज्य सभा के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सभा सचिवालय ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के प्रथम सभापति, डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन के नाम से एक पीठ की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 'संसदीय अध्ययन के संबंध में राज्य सभा अध्येतावृत्तियां' नामक दो अध्येतावृत्तियां भी प्रारम्भ की जाएंगी। यह महसूस किया जाता है कि इससे हमारी संसद के कार्यकरण को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा हमारी संसदीय संस्थाओं की बदलती हुई प्रकृति एवं भूमिका का प्रलेखन करने में मदद मिलेगी और वैश्वीकरण के दौर में इन संस्थाओं के सामने पेश आ रही चुनौतियों को ठीक ढंग से समझा जा सकेगा। इस प्रकार, राज्य सभा सचिवालय की इस पहल का आशय हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण संबंधी ज्ञान के भंडार के साथ शैक्षणिक अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण सामग्री सृजित करना है।

भाग क: खोज और सलाहकार समिति

(i) खोज और सलाहकार समिति का गठन

2. पीठ तथा अध्येताओं के चयन और उनके प्रबंधन में, खोज और सलाहकार समिति राज्य सभा के सभापति की सहायता करेगी।

3. खोज और सलाहकार समिति में पाँच सदस्य होंगे, अर्थात् राज्य सभा के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य को सभा के नेता तथा राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; राज्य सभा के सभापति और महासचिव द्वारा दो प्रमुख शिक्षाविदों को नामनिर्देशित किया जाएगा।

4. महासचिव खोज एवं सलाहकार समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) खोज और सलाहकार समिति के कार्य

5. खोज और सलाहकार समिति पीठ और अध्येताओं के चयन में सभापति की सहायता करेगी। सभापति के निदेशों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए नामों का पैनल बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

6. इसके अतिरिक्त, खोज और सलाहकार समिति को निम्नलिखित कार्य करने पड़ सकते हैं:

- अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्रों की पहचान करना;
- पीठ और अध्येताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना तथा उसका मूल्यांकन करना; और
- राज्य सभा के सभापति द्वारा समय-समय पर समिति को सौंपा गया कोई अन्य मामला।

(iii) खोज और सलाहकार समिति तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल

7. खोज और सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। राज्य सभा के सभापति अपने विवेक से इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं।

8. खोज और सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्य को इसका पुनर्गठन किए जाने पर, खोज और सलाहकार समिति में पुनः नामनिर्देशित किया जा सकता है।

(iv) समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ग्राह्यता

9. समिति के सदस्यों को जब भी समिति के कार्य के संबंध में यात्रा करने की आवश्यकता होगी तब उन्हें संसद सदस्यों अथवा राज्य सभा के महासचिव, यथास्थिति, पर लागू नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय और स्थानीय यात्रा के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। संसद सदस्यों के अतिरिक्त, सदस्यों तथा महासचिव को सत्रावधि के दौरान समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सांकेतिक मानदेय के रूप में रुपये 1000/- का भी भुगतान किया जाएगा।

भाग ख: संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ

(i) पात्रता

10. पीठ उन प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए खुली है जिनके पास भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संसदीय संस्थाओं/व्यवस्थाओं और उनके कार्यकरण से संबंधित छात्रवृत्ति तथा प्रकाशनों का प्रामाणिक रिकार्ड है।

(ii) अवधि

11. पीठ का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

(iii) उत्तरदायित्व

12. सभापति, राज्य सभा के निदेशानुसार, पीठ को अपने कार्यकाल के दौरान एक पुस्तक/प्रतिवेदन के रूप में अनुसंधान का परिणाम उपलब्ध कराना होगा। पीठ को खोज एवं सलाहकार समिति के विचारार्थ, अनुसंधान परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. पीठ अपने कार्यकाल के दौरान अनुसंधान परियोजना से संबंधित विषयों पर तीन/चार व्याख्यान देगी, जिन्हें राज्य सभा सचिवालय के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।

(iv) पीठ की अवस्थिति

14. पीठ की स्थापना पीठ पर आसीन व्यक्ति की पसंद की संस्था में की जाएगी।

(v) चयन की विधि

15. प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं और राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से पीठ हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस विज्ञापन को राज्य सभा की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।

16. आवेदक को अपने प्रस्ताव के सारांश के साथ अपने विवरण विधिवत् रूप से भरे गए विहित प्रारूप (**उपाबंध–I**) में भेजने होंगे।

17. सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) जैसी प्रख्यात शैक्षिक अनुसंधान संस्थाओं और संबंधित क्षेत्रों की प्रतिष्ठित विचारमंडलियों से अनुरोध है कि वे योग्य अभ्यर्थियों के नाम खोज एवं सलाहकार समिति के विचारार्थ राज्य सभा सचिवालय को अग्रेषित करें।

18. प्राप्त प्रस्तावों को खोज एवं सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति उन पर विचार करेगी और पीठ प्रदान किए जाने के लिए नामों के एक पैनल की अनुशंसा सभापति, राज्य सभा से करेगी।

19. आवेदक को नियत कार्य स्वीकार करने के लिए अपनी संस्था से एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा। पीठ के चयन के उपरांत, उस संस्था से, जहां अध्येता अवस्थित होना चाहता है, एक स्वीकृति पत्र/सहमति ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) अनुसंधान अनुदान

20. पीठ के लिए अनुसंधान अनुदान सम्पूर्ण अवधि के लिए 7 लाख रुपये होगा। अनुदान जारी किए जाने की अनुसूची निम्नानुसार होगी:—

(क) प्रारंभिक नियुक्ति के समय देय राशि का 20.;

(ख) पुस्तक/परियोजना प्रतिवेदन के पहले मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद राशि का 30.;

(ग) पुस्तक/परियोजना प्रतिवेदन के अंतिम मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद राशि का 30.। अंतिम मसौदा पीठ के कार्यकाल के समापन की तारीख से कम से कम तीन महीने पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) शेष राशि का भुगतान सभापति, राज्य सभा द्वारा पुस्तक/परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

21. पीठ द्वारा अनुसंधान परियोजना की सम्पूर्ण लागत ऊपर उल्लिखित अनुसंधान अनुदान में से वहन की जानी होगी।

भाग ग: संसदीय अध्ययन के संबंध में राज्य सभा अध्येतावृत्ति

22. संसदीय अध्ययन के लिए दो अध्येतावृत्तियां होंगी। चुने गए अध्येता खोज एवं सलाहकार समिति के परामर्श से और सभापति, राज्य सभा के अनुमोदन के अध्यधीन अपनी अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित करेंगे।

(i) पात्रता

23. यह अध्येतावृत्ति ऐसे शिक्षाविदों/विशेषज्ञों के लिए है, जिनके पास भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संसदीय संस्थाओं और उनके कार्यकरण, विशेष रूप से

राज्य सभा के कार्यकरण के संबंध में अनुसंधान करने का संगत अनुभव और अभिरुचि हो। चयन करते समय अभ्यर्थियों की योग्यताओं, उनके पिछले अनुभव, उनके नाम से प्रकाशित मानक अनुसंधान प्रकाशनों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

(ii) अवधि

24. अध्येतावृत्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(iii) उत्तरदायित्व

25. अध्येता को अपने कार्यकाल के दौरान राज्य सभा के सभापति के निदेशानुसार प्रकाशनीय लेख/परियोजना प्रतिवेदन के रूप में अनुसंधान का परिणाम उपलब्ध कराना होगा। छह महीने के बाद उसे किए गए कार्य के संबंध में प्रगति रिपोर्ट भी खोज और सलाहकार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) अध्येतावृत्ति की अवस्थिति

26. संसदीय अध्ययन संबंधी अध्येतावृत्ति का अवस्थान अध्येतावृत्ति के लिए चयनित व्यक्तियों की पसंद की संस्थाओं में होगा।

(v) चयन की विधि

27. अध्येताओं का चयन पीठ के परामर्श से खोज और सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया वही होगी जैसाकि पीठ के मामले में भाग ख (v) में उल्लिखित है।

(vi) अध्येतावृत्ति अनुदान

28. प्रत्येक अध्येतावृत्ति अनुदान की कुल राशि एक वर्ष के लिए 3 लाख रुपये होगी। निधियां जारी किए जाने की अनुसूची निम्नानुसार होगी:—

(क) चयन के समय देय राशि का 20.;

(ख) लेख/परियोजना प्रतिवेदन का प्रथम मसौदा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् राशि का 30.;

(ग) लेख/परियोजना प्रतिवेदन का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् राशि का 30.। अंतिम मसौदा अध्येतावृत्ति की अवधि की समाप्ति से कम-से-कम दो माह पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) शेष राशि का भुगतान राज्य सभा के सभापति द्वारा लेख/परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

29. अनुसंधान परियोजना की संपूर्ण लागत का वहन अध्येताओं द्वारा उपर्युक्त अध्येतावृत्ति अनुदान से किया जाएगा।

भाग-घ: पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए सामान्य शर्तें

(1) पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

30. प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रारूप मुख्यत: निम्नलिखित बिन्दुओं एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए:

(i) परियोजना का शीर्षक

(ii) समस्या का विवरण: अनुसंधान प्रस्ताव के आरंभिक अनुच्छेदों में जांच की जाने वाली समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त उल्लेख होना चाहिए। संबंधित विषय के सैद्धांतिक संदर्भ में इस समस्या का महत्व विनिर्दिष्ट होना चाहिए।

(iii) साहित्य का सिंहावलोकन: मुख्य निष्कर्षों सहित अनुसंधान के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का सार प्रस्तुत करते समय परियोजना प्रस्ताव में इस समस्या की जांच में इन निष्कर्षों या दृष्टिकोणों की प्रासंगिकता या अन्य किसी संबंधित जानकारी का स्पष्ट निरूपण होना चाहिए।

(iv) संकल्पनात्मक रूपरेखा: समस्या तथा समस्या की जांच के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, इस प्रस्ताव में उन संकल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनका प्रयोग किया जाना है और अध्ययन के लिए उनकी प्रासंगिकता का निरूपण भी होना चाहिए। इसमें वह अनुभवजन्य आयाम, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट होना चाहिए, जिसका समस्या की जांच के लिए पता लगाना जरूरी है।

(v) अनुसंधान संबंधी प्रश्न अथवा परिकल्पनाएं: समस्या के संकल्पनात्मक स्वरूप और आयामों को देखते हुए, प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से जिन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं और जिन परिकल्पनाओं की जांच की जानी है, उनको स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें अनुसंधान अभिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

(vi) व्याप्ति: उठाए गए प्रश्नों या जांच की जाने वाली प्रस्तावित परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में, यदि नमूना चयन आवश्यक हो जाता है, तो निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में पूरी सूचना दी जानी चाहिए:—

(क) अध्ययन जगत;

(ख) नमूना चयन संरचना; और

(ग) अवलोकन के एकक और नमूना आकार।

यदि अध्ययन के लिए किसी नियंत्रण दल की आवश्यकता पड़े तो उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नमूने के आकार और प्रकार के निर्धारण को स्पष्ट किए जाने की भी आवश्यकता होगी। जिन प्रस्तावों के लिए नमूना चयन की आवश्यकता नहीं होती, उनमें कार्य योजना यथोचित रूप से विनिर्दिष्ट होनी चाहिए और इसकी तार्किकता का वर्णन किया जाना चाहिए।

(vii) कार्य-पद्धति: अध्ययन के लिए अनुसंधान की प्रक्रियाओं का उपयुक्त विवरण दिया जाए।

(viii) आंकड़ों का संग्रहण: उन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें एकत्र किए जाने का प्रस्ताव है। हर प्रकार के आंकड़ों के लिए स्रोतों तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रहण में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं तकनीकों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(ix) समय का आबंटन: परियोजना को उपयुक्त चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण के कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(x) संदर्भ-ग्रंथ सूची

(2) पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र

31. पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए चयनित आवेदक को एक वचन-पत्र तथा इसके साथ संलग्न शर्तों (**उपाबंध- IIक/उपाबंध-IIख**) पर अलग-अलग हस्ताक्षर करना होगा। उन्हें परियोजना/प्रतिवेदन के पूरा होने के पश्चात् पीठ/अध्येतावृत्ति के विषय के संबंध में एकत्र किए गए सभी आंकड़ों/सामग्रियों को राज्य सभा सचिवालय के सुपुर्द करना होगा।

(3) पुस्तकालय सुविधा

32. पीठ/अध्येता को परामर्श के लिए संसद पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

(4) प्रकाशन सहायता

33. यदि खोज और सलाहकार समिति पीठ/अध्येतावृत्ति के अंतिम प्रतिवेदन के प्रकाशन की सिफारिश करती है और राज्य सभा के सभापति द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है, तो आवेदक को पुस्तक के प्रकाशन के लिए किसी प्रतिष्ठित प्रकाशक के साथ एक करार करना होगा और उस करार की एक प्रति राज्य सभा सचिवालय को उपलब्ध करानी होगी।

34. यदि राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशन में सहायता प्रदान की जाती है, तो पीठ/अध्येता राज्य सभा सचिवालय को मानार्थ आधार पर प्रकाशन की पच्चीस प्रतियां उपलब्ध करायेगा। यदि राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशन में सहायता प्रदान नहीं की जाती है अथवा पीठ/अध्येता कोई सहायता नहीं चाहता है और इसे स्वयं प्रकाशित करने का इरादा रखता है, तो सचिवालय 'दावात्याग खण्ड' का अवलंब ले सकता है और इसके लिए अनुमति दे सकता है। उस स्थिति में वह राज्य सभा सचिवालय को मानार्थ आधार पर प्रकाशन की पांच प्रतियां उपलब्ध करायेगा। प्रकाशनों का प्रतिलिप्यधिकार राज्य सभा सचिवालय के पास बना रहेगा।

35. निम्नलिखित पाठ उस पुस्तक, जिसके लिए सचिवालय द्वारा प्रकाशन अनुदान प्रदान किया गया है, के अंदरूनी शीर्षक पृष्ठ के पीछे स्पष्ट रूप में मुद्रित किया जाएगा:

> ''इस पुस्तक के प्रकाशन में राज्य सभा सचिवालय ने वित्तीय सहयोग दिया है। इसमें उल्लिखित तथ्यों अथवा व्यक्त किए गए विचारों की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की है, न कि राज्य सभा सचिवालय की।''

(5) सभापति का निर्णय

36. पीठ/अध्येतावृत्तियों से संबंधित सभी मामलों में राज्य सभा के सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

उपाबंध-IIक

पीठ के लिए वचन-पत्र

1. ''मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ को एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं जिसमें .....नामक शीर्षक के अधीन विहित रीति में रुपये.....(रुपये..... की धनराशि संवितरित की जाएगी। मैं परिशिष्ट में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करने के लिए भी सहमत हूं। मैं वर्तमान नियमों और उन नियमों, जो भविष्य में बनाए जाएंगे, का भी पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा पेश की गई उपर्युक्त परियोजना के संबंध में खर्च की गई समस्त राशि को निर्धारित ब्याज सहित लौटाने पर सहमत हूं, यदि वह कार्य, जिसके लिए अनुदान दिया गया है, या तो उचित रूप से निष्पादित नहीं हुआ है अथवा मेरे द्वारा रोक दिया गया है अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन खोज एवं सलाहकार समिति/राज्य सभा सचिवालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

3. मैं 'अवार्ड' को स्वीकार करने के उपरान्त और समय मांगने अथवा अनुदान में बढ़ोत्तरी करने की मांग नहीं करूंगा।

4. मैं इस विषय/परियोजना पर अनुसंधान करने के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करूंगा।

5. मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा 'अवार्ड' से जुड़ी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/संशोधन/उपेक्षा किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय को 'अवार्ड' को निलंबित करने का अधिकार है।

6. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा आयोजित अनुसंधान के विषय पर तीन/चार व्याख्यान दूंगा।

7. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय की विवेकाधीन शक्ति के अधीन किसी भी प्रकार की वसूली की जा सकती है।

पीठ के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाबंध IIख

अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र

1. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत संसदीय अध्ययन के संबंध में राज्य सभा अध्येतावृत्ति को एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं जिसमें ..... नामक शीर्षक के अधीन विहित रीति में रुपये ..... (रुपये .....) की धनराशि संवितरित की जाएगी। मैं **परिशिष्ट** में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करने के लिए भी सहमत हूं। मैं वर्तमान नियमों और उन नियमों, जो भविष्य में बनाए जाएंगे, का भी पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा पेश की गई उपर्युक्त परियोजना के संबंध में खर्च की गई समस्त राशि को निर्धारित ब्याज सहित लौटाने पर सहमत हूं, यदि वह कार्य, जिसके लिए अनुदान दिया गया है, या तो उचित रूप से निष्पादित नहीं हुआ है अथवा मेरे द्वारा रोक दिया गया है अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन खोज एवं सलाहकार समिति/राज्य सभा सचिवालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

3. मैं 'अवार्ड' को स्वीकार करने के उपरान्त और समय मांगने अथवा अनुदान में बढ़ोत्तरी करने की मांग नहीं करूंगा।

4. मैं इस विषय/परियोजना पर अनुसंधान करने के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करूंगा।

5. मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा 'अवार्ड' से जुड़ी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/संशोधन/उपेक्षा किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय को 'अवार्ड' को निलंबित करने का अधिकार है।

6. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय की विवेकाधीन शक्ति के अधीन किसी भी प्रकार की वसूली की जा सकती है।

अध्येता के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

परिशिष्ट

पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए निबंधन और शर्तें

1. अनुसंधान परियोजना और परियोजना प्रतिवेदन/पांडुलिपि को योजना में यथा उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना होगा और उन्हें राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. विनिर्दिष्ट अंतराल पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न किए जाने पर बिना किसी सूचना के अनुदान निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

3. यदि खोज एवं सलाहकार समिति द्वारा किन्हीं कारणों से प्रगति असंतोषजनक पायी जाती है, तो राज्य सभा सचिवालय को किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, 'अवार्ड' को समाप्त करने का अधिकार होगा।

4. राज्य सभा के सभापति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों के सिवाय अनुसंधान परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

5. किसी विद्वान द्वारा उपरोक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारण, चाहे जो भी हो (व्यक्तिगत कारणों सहित) से परियोजना को समाप्त करने की स्थिति में उसे पहले से भुगतान की गई राशि 10 प्रतिशत ब्याज की दर से राज्य सभा सचिवालय को लौटानी होगी और साथ ही पीठ/अध्येतावृत्ति परियोजना के संबंध में संकलित किए गए सभी आंकड़ों/सामग्री को राज्य सभा सचिवालय के सुपुर्द करना होगा।

6. अध्ययन के पूरा होने के उपरान्त पीठ/अध्येता द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में इस आशय की घोषणा उचित रूप से अंतर्विष्ट की जाएगी कि ''यह परियोजना मूलतः पीठ/अध्येताओं का कार्य है, इसलिए राज्य सभा सचिवालय तथ्यात्मक त्रुटियों, गलतियों, निष्कर्षों, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायी नहीं है''।

7. अनुसंधान परियोजना के पीठ/अध्येता से यह अपेक्षित होगा कि वह खोज एवं सलाहकार समिति के प्राधिकार के अधीन सचिवालय द्वारा विनिर्दिष्ट

किए गए निबंधनों के अनुसार इस सचिवालय द्वारा प्रदान की गई सहायता को स्वीकार करे।

8. किसी भी संस्था में कार्यरत आवेदक से इस कार्य को शुरू करने हेतु अपनी संस्था से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

9. प्रकाशन का प्रतिलिप्याधिकार राज्य सभा सचिवालय के पास होगा।

10. राज्य सभा के सभापति का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।

संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ
तथा
राज्य सभा अध्येतावृत्तियां (फैलोशिप्स)

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

उपाबंध-I

संसदीय अध्ययन के संबंध में डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन पीठ/राज्य सभा अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र*

यहां पासपोर्ट
आकार का
फोटो चिपकाएं

1. नाम ____________________
(बड़े अक्षरों में)

2. पिता का नाम ____________________
(बड़े अक्षरों में)

3. जन्म तिथि ____________________

4. पत्राचार हेतु पता ____________________
____
____
दूरभाषः ____________________

5. स्थायी पता ____________________
____
____
दूरभाषः ____________________

6. वर्तमान में जिस संस्था में कार्यरत हैं, उसका नाम (पता सहित) ____________________
____
दूरभाषः ____________ फैक्स ____________

7. शैक्षणिक योग्यताएं: (कृपया केवल तीन मुख्य डिग्रियों का उल्लेख करें) (सबसे बड़ी डिग्री से प्रारम्भ करें)

डिग्री/प्रमाणपत्र	**संस्था**	**वर्ष**

8. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो, तो पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

शीर्षक	संस्था का नाम	वर्ष

9. संगत अनुसंधान अनुभव/प्रकाशन : (यदि आवश्यक हो, तो पृथक् पृष्ठ संलग्न करें)

शीर्षक	संस्था का नाम	वर्ष

10. संसदीय अध्ययन के क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो, (यदि आवश्यक हो, तो पृथक् पृष्ठ संलग्न करें)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

अनुसंधान प्रस्ताव

खोज और सलाहकार समिति द्वारा सुविज्ञ निर्णय लिए जाने के लिए, कृपया इस आवेदन के साथ प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना का सारांश लगभग 1000 शब्दों में संलग्न करें। अनुसंधान प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

(दिशानिर्देशों के लिए योजना के भाग घ का संदर्भ लें)

- सार
- अनुसंधान हेतु चयनित समस्या का शीर्षक, उसकी पृष्ठभूमि और उसका विवरण
- साहित्य का सिंहावलोकन
- संकल्पनात्मक रूपरेखा
- अनुसंधान संबंधी प्रश्न अथवा परिकल्पनाएं
- व्याप्ति
- कार्य पद्धति
- आंकड़ों का संग्रहण
- समय का आबंटन
- संदर्भ-ग्रंथ सूची

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर _____ दिनांक _____

नाम और पता _____

_____

_____

*आवेदन उस विभाग/संगठन के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाना चाहिए जहां आवेदक कार्यरत है।